दिनांक 05.04.2021
प्रेस विज्ञप्ति 05/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद गाजियाबाद/थाना ट्रोनिका सिटी

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 50 हजार 670 रूपये नगद**
- **लूट की 01 स्कूटी व 01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा व खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 05.04.2021 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सपना चौराहा के पास से चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्तों 1–विकास, 2–हर्ष उर्फ हरिओम, 3–दीपक, 4–चंकी उर्फ विशाल को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 50 हजार 670 रूपये नगद, लूट की 01 स्कूटी व 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा व खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है। जिनके विरूद्ध जनपद गाजियाबाद के विभिन्न थानो में हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से बरामद रूपया, स्कूटी, मोटर साइकिल थाना ट्रोनिका सिटी पर पंजीकृत लूट की घटनाओ से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विकास निवासी पश्चिम करावल नगर दिल्ली।

2–हर्ष उर्फ हरिओम निवासी दयालपुर खजुरी खास दिल्ली।

3–दीपक निवासी सिमली छीट अल्मोडा उत्तराखण्ड।

4–चंकी उर्फ विशाल निवासी वेस्ट करावल नगर दिल्ली।

बरामदगी

1–लूट के 50 हजार 670 रूपये नगद।

2–लूट की 01 स्कूटी व 01 मोटर साइकिल।

3–02 अवैध तमंचा व खोखा कारतूस आदि।

जनपद मेरठ/थाना ब्रहमपुरी

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **06 पेटी अवैध शराब**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित व खोखा कारतूस**
- **01 कार बरामद**

दिनांक 04/05.04.2021 को थाना ब्रहमपुरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिजली बम्बा बाईपास के पास से चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त रमेश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य बदमाश मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 06 पेटी अवैध शराब, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित व खोखा कारतूस, 01 कार बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। जिसके विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आबकारी एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 31 अभियोग पंजीकृत

है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना ब्रहमपुरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 95/2021 धारा 420 भादवि व 63 आबकारी एक्ट में वाछिंत चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना ब्रहमपुरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—रमेश निवासी मंगतपुरम थाना ब्रहमपुरी जनपद मेरठ।

<u>बरामदगी</u>

1—06 पेटी अवैध शराब।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित व खोखा कारतूस।

3—01 कार।

<u>जनपद बागपत/थाना छपरौली</u>

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 04.04.2021 को थाना छपरौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छपरौली—टांडा रोड से चेकिंग के दौरान 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सचिन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना छपरौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 212/2020 धारा 147/148/149/307/302/120बी/34/506 भादवि में वाछिंत चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सचिन निवासी कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित कारतूस।

जनपद बरेली/थाना बिथरी चौनपुर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 11 लाख रूपये कीमत की 275 पेटी अवैध शराब आदि बरामद**

दिनांक 04.04.2021 को थाना बिथरी चौनपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रामवेली कालोनी के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1—आशीष कुमार, 2—शहजाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 11 लाख रूपये कीमत की 275 पेटी अवैध शराब आदि बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना बिथरी चौनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आशीष कुमार निवासी रेहपुरा गिरधारी लाल थाना भुता जनपद बरेली।

2—शहजाद निवासी सांपला थाना देववन्द जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1—लगभग 11 लाख रूपये कीमत की 275 पेटी अवैध शराब आदि।

जनपद बाराबंकी/थाना सतरिख व रामसनेहीघाट

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **19 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा व 07 कारतूस विभिन्न बोर**
- **शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 05.04.2021 को थाना सतरिख व रामसनेहीघाट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहे 02 अभियुक्त 1–इरफान उर्फ काना, 2–श्रवण उर्फ राका को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 19 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा व 07 कारतूस विभिन्न बोर, शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सतरिख व रामसनेहीघाट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इरफान उर्फ काना निवासी करौंदी कला थाना सतरिख जनपद बाराबंकी।

2–श्रवण उर्फ राका निवासी भुड़हरी थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1–19 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा।

2–7 कारतूस।

3–शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद सीतापुर/थाना तंबौर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **15 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा व 03 कारतूस विभिन्न बोर**
- **शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 05.04.2021 को थाना तंबौर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डीहपुरवा के निकट ईंट भट्ठा के पास से चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहे 02 अभियुक्त 1–अब्दुल अजीज, 2–अवधेश को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 15 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा, 03 कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है। अभियुक्त अवधेश के विरूद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 4 अभियोग व अभियुक्त अब्दुल अजीज के विरूद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना तंबौर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अब्दुल अजीज निवासी अहमदाबाद गंज थाना तंबौर जनपद सीतापुर।

2—अवधेश निवासी मोहम्मदपुर उसिया थाना तंबौर जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1—15 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा व 03 कारतूस विभिन्न बोर।

2—शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद सीतापुर/थाना सिधौली

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहे 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **13 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा व 13 कारतूस विभिन्न बोर**
- **शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 05.04.2021 को थाना सिधौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कोडरी के पास चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहे 03 अभियुक्त 1—चंद्रशेखर, 2—राजाराम, 3—रामविलास को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 13 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा, 13 कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सिधौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—चंद्रशेखर निवासी भीमनगर मजरा हरदोईया थाना सिधौली जनपद सीतापुर।

2—राजाराम निवासी कोडरी मजरा कैमा थाना रामपुरकलां जनपद सीतापुर।

3—रामविलास निवासी कोडरी मजरा कैमा थाना रामपुरकलां जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1—13 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा व 13 कारतूस विभिन्न बोर।

2—शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद हरदोई/थाना शाहाबाद

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहे 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **08 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा 315 बोर**
- **02 जीवित, 12 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 04.04.2021 को थाना शाहाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम हिरौली गन्ने के खेत से चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहे 03 अभियुक्त 1—राधेश्याम, 2—रमेश, 3—लल्लू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 08 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 12 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना शाहाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राधेश्याम निवासी सुलतानपुर थाना पचदेवरा जनपद हरदोई।

2–रमेश निवासी हिरौली थाना शाहाबाद जनपद हरदोई।

3–लल्लू निवासी मो0 दिलावरपुर थाना शाहाबाद जनपद हरदोई।

बरामदगी

1–08 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा 315 बोर।

2–02 जीवित, 12 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3–शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद फिरोजाबाद/थाना सिरसागंज

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **07 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा**
- **08 नाल, 01 रायफल बॉडी, 02 जीवित कारतूस**
- **शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 04.04.2021 को थाना सिरसागंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करहल रोड पर बने खण्डहर में चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहे 02 अभियुक्त 1–सुग्रीव, 2–नेत्रपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 07 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा, 08 नाल, 01 रायफल बॉडी, 02 जीवित कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सिरसागंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुग्रीव निवासी बूढ़ा भरथरा थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद।

2–नेत्रपाल निवासी जैतपुर थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–07 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा।

2–08 नाल।

3–01 रायफल बॉडी।

4–02 जीवित कारतूस।

5–शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो पर किये गये आपत्तिजनक/भ्रामक पोस्टों/मैसेज/वीडियो आदि के सम्बन्ध में प्रदेश में (दिनांक 01.03.2021 से 31–03–2021 तक) की गयी कार्यवाही।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो ट्वीटर, व्हाट्सएप्प, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यू ट्यूब आदि पर किये गये आपत्तिजनक/भ्रामक पोस्टों/मैसेज/वीडियो आदि के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के क्रम में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो पर किये गये आपत्तिजनक/भ्रामक पोस्टों/मैसेज/वीडियो आदि के सम्बन्ध में माह मार्च (दिनांक 01.03.2021 से 31.03.2021 तक) में निम्न कार्यवाही की गयी :–

- आपत्तिजनक पोस्टों को रिपोर्ट कर हटवाया गया : – 08
- अफवाह/भ्रामक/आपत्तिजनक/साम्प्रदायिक सदभाव को प्रभावित करने वाली पोस्टों पर पंजीकृत अभियोगों की संख्या : – 15
- अन्य कारणों से पंजीकृत अभियोगों की संख्या : – 29
- इस प्रकार आपत्तिजनक/भ्रामक पोस्टो/मैसेज/वीडियो आदि के सम्बन्ध में कुल पंजीकृत अभियोगों की संख्या : – **44**

एसटीएफ – दिनांक 12.01.2017 को जीवन ज्योति हॉस्पिटल प्रयागराज के मालिक डॉ0 अश्वनी कुमार बंसल (ए0के0 बंसल) की उनके हॉस्पिटल के चैम्बर में गोली मारकर हत्या करने वाला जनपद प्रतापगढ़ से रुपये 50 हजार का इनामी दुर्दांत अपराधी मो० शोएब पुत्र मुकीम एस0टी0एफ0 द्वारा गिरफ्तार।

दिनांक 05–04–2021 को एसटीएफ उ0प्र0 को प्रयागराज के बहुचर्चित जीवन ज्योति हॉस्पिटल के मालिक डॉ0 अश्वनी कुमार बंसल (ए0के0 बंसल) की दिनांक 12–01–2017 को गोली मारकर निर्मम हत्या कर सनसनी फैलाने वाले अपराधी शोएब पुत्र मुकीम को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः–

मो0 शोएब पुत्र मुकीम निवासी आजादनगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

कुल बरामदगीः

1. 01 अदद अवैध पिस्टल .32 बोर।
2. 05 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर।
3. 02 अलग–अलग कूटरचित निर्वाचन कार्ड।
4. 02 अलग–अलग कूटरचित पैनकार्ड।
5. 01 अदद कूटरचित डाइविंग लाइसेन्स।
6. 02 अदद मोबाईल।
7. 1910 रूपये नगद।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

देवा रोड मोड के पास स्थित मन्दिर के पीछे, थाना चिनहट, लखनऊ कमिश्नरेट, लखनऊ दिनांक 05/04/2021, समय सुबह 7:30 बजे।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.01.2017 को समय करीब शाम 07 बजे जीवन ज्योति हॉस्पिटल के डॉ0 अश्वनी कुमार बंसल हॉस्पिटल की ओपीडी में मरीज देख रहे रहे थे कि सामने वाले गेट से अचानक अन्दर आकर दो व्यक्तियों ने उन पर ताबड़तोड़ कई राउण्ड फायर किये और भाग निकले जिसमें हॉस्पिटल में इलाज के दौरान डॉ बंसल की मृत्यु हो गयी इस सनसनीखेज घटना के सम्बन्ध में डॉ बंसल के छोटे भाई

प्रवीण कुमार बंसल द्वारा थाना कीडगंज जनपद प्रयागराज में मु0अ0सं0 28/2017 धारा 302 भादवि का दर्ज कराया गया था।

उक्त मुकदमें के अनावरण हेतु सतत प्रयास किये जा रहे थे, जिसके क्रम में श्री दीपक सिंह पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षणाधीन श्री हेमन्त भूषण सिंह, निरीक्षक के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 मुख्यालय द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। अभिसूचना संकलन एवं घटना के अनावरण में एसटीएफ़ फील्ड यूनिट प्रयागराज का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।

अभिसूचना संकलन इलेक्ट्रानिक सर्विलांस तथा भैतिक सत्यापन के माध्यम से सूचना संकलन का कार्य किया जा रहा था। इसी क्रम में आज दिनांक 05.04.2021 को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुयी कि मु0अ0सं0 837/2018 धारा 307/279/337/372/338/353/332/504/506/ 427 भादवि0 व 2/3 लो0स0क्षति निवा0 अधि0 थाना कोतवाली नगर **जनपद प्रतापगढ़ में वांछित 50 हजार के ईनामी अपराधी शोएब** पुत्र मुकीम उर्फ मुस्तकीम निवासी आजाद नगर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ देवा रोड मोड के पास स्थित मन्दिर के पीछे, थाना चिनहट, लखनऊ कमिश्नरेट, लखनऊ के पास किसी से मिलने आने वाला है, इस सूचना पर निरीक्षक हेमन्त भूषण सिंह अपनी टीम को लेकर रवाना हुए देवा रोड के पास पहुंचा मुखबिर के इशारे पर मन्दिर के पास खड़े व्यक्ति को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो एसटीएफ टीम को देखते ही वह तेजी से भागा जिसे एसटीएफ टीम पुलिस बल की मदद से आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

विस्तृत पूँछताछ पर शोएब उपरोक्त ने बताया कि वह के0पी0 इंटर कालेज प्रतापगढ़ से पढाई किया है तथा पढाई के बाद नीट की तैयारी हेतु कोटा राजस्थान गया जहाँ से जल्द ही वापस प्रतापगढ़ आ गया पढाई तथा क्रिकेट मैच खेलने के दौरान मेरी दोस्ती भुलियापुर निवासी यासिर व जावेद उर्फ़ जब्बा और घरौरा, लालगंज निवासी मक़सूद उर्फ़ जैद से हुई जहाँ हम लोगों का एक ग्रुप बन गया आये दिन हम लोग

किसी को भी मारपीट दिया करते थे इसी दौरान वर्चस्व स्थापित करने के चलते मेरे ग्रुप का चुनमुन से विवाद होता रहा जिसके चलते हम लोगों ने वर्ष 2015 में चुनमुन जो बस में बैठकर जा रहा था की दिनदहाड़े बस में ही गोली मारकर हत्या कर दी थी।

साथ ही मार्च 2017 में यासिर की हुई हत्या के सम्बन्ध में पूंछने पर बताया कि जीवन ज्योति हास्टिल के डा0 बंसल ने अपने लड़के के एडमीशन के लिए रूपये 55 लाख आलोक सिन्हा को दिये थे, लेकिन आलोक सिन्हा ने उनके लड़के का एडमीशन न कराकर पैसे हड़प लिये थे। जिसकी वजह से डा0 बंसल ने आलोक सिन्हा के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा लिखवाकर जेल भिजवा दिया था। डा0 बंसल द्वारा आलोक सिन्हा के विरूद्ध अन्य राज्यों में भी पंजीकृत मुकदमों में पैरवी की जाने लगी, जिनके प्रयास से ही कर्नाटक के एक मुकदमें में वारण्ट बी बनवाकर कर्नाटक भी पुलिस ले गयी थी। प्रयागराज की नैनी जेल में पहले से दिलीप मिश्रा, अशरफ उर्फ अख्तर कटरा, जुल्फिकार उर्फ तोता, गुलाम रसूल मौजूद थे। यह सभी लोग 01 नम्बर सर्किल के बी क्लास बैरक में निरूद्ध थे, और उसी बैरक में आलोक सिन्हा भी पहुंच गये। उसी बैरक में आलोक सिन्हा ने डा0 बंसल की हत्या कराने की बात किया जिस पर दिलीप मिश्रा, अशरफ उर्फ अख्तर कटरा तैयार हो गये, और दिलीप मिश्रा, अशरफ उर्फ अख्तर ने अबरार मुल्ला के माध्यम से मकसूद उर्फ जैद, यासिर तथा मुझसे सम्पर्क किया और कहा कि डा0 बंसल की हत्या करनी है। जिसके एवज में रूपये 15 लाख नगद तथा रूपये 55 लाख बाद में मिलेंगे, अबरार मुल्ला के माध्यम से हम लोगों को पांच लाख रूपये 02 पिस्टल तथा एक मोटर साईकिल उपलब्ध करायी, तथा 10 लाख रूपये अबरार मुल्ला ने अपने पास रोक लिया, जो काम के बाद देने को कहा 12 जनवरी 2017 को शाम करीब 07 बजे मै तथा यासिर व मकसूद मोटरसाइकिल से जीवन ज्योति हास्पिटल पहुचे। मकसूद गाड़ी चला रहा था, जो हास्पिटल के सामने ही खड़ा रहा, मैने व यासिर ने डा0 बंसल के चैम्बर में जाकर अपने–अपने पिस्टल से फायर करके उनकी हत्या कर दी, और मकसूद के साथ उसी मोटरसाइकिल से फरार हो गये। घटना के बाद मक़सूद और यासिर के बीच में पैसे को लेकर झगड़ा हो गया जिस पर अबरार

मुल्ला के कहने पर मैंने तथा मक़सूद ने घटना के लगभग डेढ़ महीने बाद यासिर की हत्या कर दी जिसमें मक़सूद पकड़ा गया लेकिन उसमें मेरा नाम नहीं आया कुछ दिन बाद थाना पीपरपुर जनपद अमेठी में हत्या के प्रयास के एक मामले में मैं जेल गया था, जेल से छूटने के बाद मैं भागकर मुंबई चला गया और काफी दिनों तक वही छुपकर रहा घटना में इस्तेमाल की गयी मोटरसाइकिल व पिस्तौल अबरार मुल्ला को वापस दे दिया था मुझे बाद में यह भी पता चला था कि सीसीटीवी फुटेज में मेरी तथा यासिर की फोटो भी आ गयी थी इसी कारण मैं मुंबई में छिपाकर रह रहा था।

<u>शोएब की गैंग द्वारा की गयी दुस्साहसिक घटनाएँ—</u>

- वर्ष 2015 में चुनमुन पाण्डेय की दिनदहाड़े बस रुकवाकर हत्या करना।
- वर्ष 2015 में डॉ प्रभात की गोली मारकर हत्या चिलबिला रेलवे क्रासिंग के पास हरि प्रताप सिंह समझकर की गयी।
- **वर्ष 2017 में जीवन ज्योति हास्पिटल के डॉ बंसल की हत्या।**
- वर्ष 2017 में पैसे के बंटवारे के विवाद को लेकर अपने ही साथी यासिर की गोली मारकर हत्या करना।
- **वर्ष 2018 में जनपद प्रतापगढ़ में हत्या का प्रयास जिसमे 50 हजार का इनाम घोषित है।**
- वर्ष 2019 में फरारी के दौरान रिक्की नामक व्यक्ति से एटीएम क्लोन करने वाली मशीन खरीदकर व उसे अपने दो साथियों को देकर एटीएम क्लोन करके व एटीएम की लाइन में लगकर पिन प्राप्तकर पैसे निकालने का अपराध करता था।
- कई मोटरसाइकिल की लूट व लूट का प्रयास करना जिसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है।
- भुलियापुर गाँव के पास के जंगल में एक पेड़ पर इन लोगो ने कारतूसों के फायर से 1090 लिखा गया है उसी के पास सटीक निशाने की प्रैक्टिस करने के लिए

निरीह जानवरों जैसे नीलगाय, खरगोश आदि को अपनी गोली का निशाना बनाते थे।

- महामाया मार्बल के मालिक राजेश सिंह हत्याकाण्ड में भी इसकी भूमिका की जाँच हो रही है।
- ये लोग फ्रैक्चर गैंग के नाम से मशहूर थे और इसी नाम से रंगदारी मांगते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना चिनहट लखनऊ कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त शोएब का अब तक का ज्ञात आपराधिक इतिहासः—</u>

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	259/2015	302 भादवि	मानधाता	प्रतापगढ।
2.	1166/2015	302 भादवि	कोत0नगर	प्रतापगढ।
3.	28/2017	302 भादवि	कीडगंज	प्रयागराज।
4.	51/2017	302 भादवि	कोत0नगर	प्रतापगढ।
5.	546/2017	147,307,504,506 भादवि	पीपरपुर	अमेठी।

————————